Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 03, July, 2018, pp. 154-160

लोकशक्ति की अवधारणा एवं गांधी दर्शन

डॉ. उमा शर्मा *

परिचय

महात्मा गांधी राजनीति के वे संत हैं जिन्होंने शक्ति की अवधारणा को लोकशक्ति की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया और इस लोकशक्ति को नैतिक शक्ति का वृहद रूप प्रदान करने की कोशिश की। महात्मा गांधी से पूर्व तिलक ने लोकशक्ति की महिमा को समझा था ओर इसी कारण उन्होंने बंद कमरों की राजनीति को समाप्त करके लोकशक्ति कोउठाने का प्रयास किया और इसलिये उन्होंने गणेश महोत्सव व शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जब तक जनता बड़े स्तर पर बंद कमरों से बाहर निकलकर विरोध के लिये नहीं आयेगी तब तक किसी भी हालत में राष्ट्रीय आंदोलन में न तो विजय प्राप्त की जा सकती है और न ही सक्रिय रूप से लोकशक्ति या जनशक्ति की भागीदारी को निश्चित किया जा सकता है। तिलक का यह प्रयास एक सीमा तक सफल भी रहा लेकिन तिलक क्योंकि उग्रवादी आंदोलन से सम्बन्धित थे व उदारवादियों द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस कारण वे इस लोकशक्ति की अवधारणा को एक निश्चित सीमा तक ही आगे ले जाने में सफल हो पाये।

तिलक के बाद महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बात को समझा कि लोकशक्ति अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में लोकशक्ति एवं गांधीदर्शन पर विस्तृत विवेचन किया गया है, साथ ही लोकशक्ति की अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में लोकशक्ति की अवधारणा

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ शोषण का युग प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व भारत को सोने की चिड़िया की उपमा दी जाती थी। ब्रिटिश शासकों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण कर उन्हें कंगाल बना दिया। निःसंदेह विदेशी शासन ने भारत के अतीतकालीन गौरव पर पर्दा डालने और उसकी छिछालेदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रस्तुत अध्याय में ब्रिटिश सत्ताधारियों के अत्याचारों का उल्लेख किया गया है एवं उपरोक्त अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु महात्मा गांधी ने लोकशक्ति द्वारा राजनीति में संघर्ष किया उसका भी विश्लेषण किया गया है।

औपनिवेशिक भारत एवं परिवर्तित व्यवस्था

16वीं शताब्दी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। उस समय का भारत एक ऐसा गहरा कुँआ था, जिसमें चारों ओर से संसार भर का सोना चांदी आ–आकर एकत्रित होता जाता था, पर जिसमें से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। भारत की इस अतुल धन सम्पदा से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने हेतु आकर्षित हुए। पुर्तगाल पहला यूरोपियन देश था, जिसने भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये थे। इससे प्रभावित होकर डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी लोग भी भारत के साथ व्यापार करने लगे। इंगलैण्ड की महारानी एलिजाबेथ ने 3 दिसम्बर, 1600ई. को एक अधिकार पत्र

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, सेन्ट सोल्जर कॉलेज फॉर गर्ल्स, जयपुर, राजस्थान।

द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। यही कम्पनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कम्पनी कहलायी। इस प्रकार भारत पूर्ण रूप से पराधीनता की जंजीरों में जकड़ गया। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक व राजनीतिक शोषण करना था। उन्होंने भारतीयों की कमजोरी, सीधेपन व मूर्खता का पूरा लाभ उठाया। अतः ब्रिटिश शासकों की 'शक्ति–राजनीति' ने निम्न प्रकार से भारत का शोषण कियाः

- **औद्योगिक विनिवेश एवं शोषणकाल**

कम्पनी का प्रधान लक्ष्य भारत से सूती और रेशमी कपड़े ले जाकर ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में बेचना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया।

- **भारत में रेलवे की स्थापना**

यातायात के साधनों के विकास ने अंग्रेजों को भारतवर्ष में अपनी 'शक्ति' प्रबल करने में सहायता प्रदान की। भारत में रेलों का प्रारंभ 16 अप्रेल, 1853 से हुआ। 1925 में सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1944 तक राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी।

- **जमीदार एवं जागीरदारों के प्रति विद्वेष की नीति**

ब्रिटिश शासन ने शिल्पियों एवं कलाकारों का नहीं अपितु राजाओं एवं जमीदारों को भी प्रभावित किया। उन्नींसवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सरकार ने जो भूमि पट्टे एवं 'कर' वसूली सम्बन्धी उपाय किये, उनसे तालुकेदारों की पुरानी सम्पदाऐं छिन गई। फलतः ये जमींदार ब्रिटिश राज्य के कट्टर शत्रु बन गये।

- **परम्परागत ग्रामीण व्यवस्था पर नौकरशाही का जन्म**

शासन का सारा तंत्र विकास की योजनाएं, सरकारी विभाग, सार्वजजिक सेवाएं, पुलिस आदि शासन के समस्त उपकरण और व्यवस्थाएं, आम जनता के कल्याण में सहायक न होकर उलटे विकास एवं उन्नति के मार्ग में बाधा बन गयी हैं। अतः बिनोबाजी ने ठीक ही कहा कि प्राचीन भारत आजाद गांधी का आजाद राष्ट्र था, मध्ययुग में आजाद गांवों का भारत गुलाम राष्ट्र था, अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् चूंकि उन्होंने ग्राम–व्यवस्था तोड़ डाली, इसलिए भारत गुलाम गांवों का आजाद मुल्क है। इस प्रकार अंग्रेजों के बाद तो भारत में 'केन्द्रीकृत शक्ति' ज्यों की त्यों बनी रही।

- **उच्चतर लोक सेवाओं में भारतीयों से भेदभाव**

1953 में भारतीय लोक सेवा परीक्षाओं में भारतीयों को प्रवेश दिया जाने लगा था किन्तु भारतीयों की नियुक्ति अंग्रेजों की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर करती थी। बहुत ही कम भारतीयों को 'लोकसेवा' में प्रवेश दिया जाता था। अतः शासकीय सेवाऐं पूर्णतः अंग्रेजो के लिए आरक्षित कर दी गई थी।

- **पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव**

अंग्रेजी भाषा और नई शिक्षा से मैकाले ने 'अंग्रेजी राज' को भारत में सदा के लिए स्थापित करने की योजना बनायी। व्यापारिक और वैचारिक दासता के लक्ष्य से लार्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद रखी थी। गांधी जी के अनुसार 'मेकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी।' अतः गांधीजी की आस्था थी कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन का गुलाम बनाया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन अत्याचारपूर्ण व निरंकुश शासन था। ब्रिटिश शासन ने 'दमनात्मक शक्ति' तथा 'हिंसक शक्ति' द्वारा भारतीय हितों का शोषण किया।

लोक शक्ति के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचार

महात्मा गांधी ने जीवन में विद्यमान संघर्ष को नकारा नहीं है वरन् उसे स्वीकार किया है। उन्होंने 'शक्ति' के प्रयोग को निषिद्ध नहीं माना। 'शक्ति' मानव जीवन की एक वास्तविकता तो है ही, यह इतिहास का

भी एक कठोर सत्य है। सभ्यता का विकास एवं संरक्षण भी 'शक्ति' के द्वारा ही संभव है, लेकिन शर्त यही है कि यह 'शक्ति' अहिंसात्मक जीवन–पद्धति, पारस्परिक सद्भाव और सहयोग में प्रकट हो सके। विरोधी के आचरण को परिवर्तित करने तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने हेतु महात्मा गांधी ने 'दमनामक शक्ति' को अनुचित माना। उनके अनुसार 'मैं सशस्त्र आन्दोलन में विश्वास नहीं करता। जिस रोग को दूर करने के लिये इस उपचार का प्रयोग किया जाता है, उसके परिणाम से, इसका प्रभाव कहीं अधिक भीषण होता है, ये प्रतिशोध अधीरता तथा क्रसेस के रूप हैं। हिंसा का अंतिम परिणाम कभी सुखद नहीं हो सकता।

इस प्रकार महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ताधारियों से लोहा लेने हेतु 'नैतिक शक्ति' केअस्त्र 'सत्याग्रह' का प्रयोग किया और इस अस्त्र द्वारा अपने उद्देश्य में सफलता अर्जित की। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतवासियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु भी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरूद्ध भी 'सत्याग्रह' का प्रयोग किया था। इस प्रकार महात्मा गांधी की 'राजनीतिक शक्ति' का अभिप्राय 'नैतिक शक्ति' से है। महात्मा गांधी ने 'शक्ति' में नैतिक सिद्धान्तों का समावेश किया।

गांधीवादी 'राजनीतिक शक्ति' के स्त्रोत

जिस प्रकार महान् वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अणुशक्ति के रूप में प्रचण्ड शक्ति का आविष्कार किया, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी 'प्रचण्ड शक्ति' का अस्त्र 'सत्याग्रह' के रूप में खोजकर दिया। महात्मा गांधी ने 'हिन्द स्वराज्य' में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया। ये व्रत निम्नलिखित हैं : अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों, को समान दृष्टि से देखना, स्वदेश तथा अस्पृश्यता निवारण। 'शक्ति के नैतिक स्वरूप में गांधी जी की आस्था थी। उनकी 'नैतिक शक्ति' के प्रमुख स्त्रोत इस प्रकार हैं :

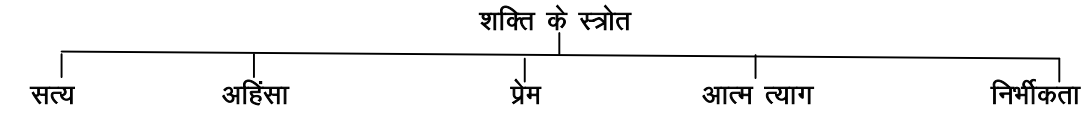

- **सत्य**

'सत्य' गांधीवादी 'राजनीतिक शक्ति' का प्रमुख स्त्रोत है। जो सत्य का सेवन नहीं करता, वह सत्य का बल, सत्य की ताकत कैसे दिखा सकेगा ? इसलिये सत्य की तो पूरी–पूरी जरूरत होगी। गांधी जी के अनुसार 'सत्य अविनाशकारी है एवं सत्य एवं भगवान का न तो प्रारंभ होता है और न अंत। सत्य महात्मा गांधी की 'शक्ति' का आधार है। गांधी जी के सत्य के क्षेत्र में केवल व्यक्ति का ही नहीं, वरन् समूह और समाज का भी समावेश है।

- **अहिंसा**

गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है इस संदर्भ में उनका कथन इस प्रकार है, 'अहिंसा के प्रति मेरा प्रेम किसी भी लौकिक अथवा परलौकिक वस्तु से अधिक है। इतना प्रेम मुझे केवल सत्य से है जिसे मैं अहिंसा का पर्याय मानता हूँ जिसके माध्यम से मैं सत्य को देख सकता हूँ एवं पा सकता हूँ। सत्याग्रह तोपबल से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसके दोनों ओर धार है तथा जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलायी जाती है, वे दोनों सुखी होते हैं, वह खून नहीं निकालती, उसे जंग नहीं लग सकता और उसे कोई चुरा नहीं सकता। अहिंसा महात्मा गांधी की 'राजनीतिक शक्ति' का प्रमुख स्त्रोत है, जिसमें अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा, रक्तपात का सहारा नहीं लेकर 'अहिंसक शक्ति' का मार्ग अपनाया जाता है। 'अहिंसा में गांधी जी को आध्यात्मिक बल के दर्शन हुए। उनका दृढ़ विश्वास था कि आत्मिक बल के विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाय, किन्तु अन्त में उसे पराजित होना ही पड़ेगा।

- **प्रेम**

'गांधीवादी शक्ति' में विरोधी खेमें के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखी जाती, अपितु 'प्रेम' द्वारा उसे अपने खेमें में प्रविष्ट कराया जाता है। गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह, दयालुता, प्रेम तथा सत्य है जबकि पाशविक शक्ति घृणा को जन्म देती है तथा शत्रु बदला लेने का प्रण लेता है। पाशविक शक्ति की तुलना घानी के बैल से की जा सकती है, यह एक गति है किन्तु प्रगति नहीं। गांधी जी के विचारों से विदित होता है कि 'हिंसक शक्ति' का स्त्रोत धमकी व बल होता है। 'हिसंक शक्ति' विरोधी के व्यवहार को तो परिवर्तित करती है किन्तु उस परिवर्तन का प्रभाव स्थायी नहीं होता। इसके विपरीत गांधीवादी 'नैतिक शक्ति' का स्त्रोत प्रेम होने के कारण यह आचरण परिवर्तित कर सकने में संभव है एवं इसका प्रभाव चिरस्थायी होगा।

- **आत्म त्याग**

'राजनीतिक शक्ति' की गांधीवादी अवधारणा में सत्याग्रही स्वयं कष्ट पाकर विरोधी का हृदय परिवर्तन करता है। महात्मा गांधी ने यह मत प्रतिपादित किया कि 'सत्याग्रह का यह नियम है कि स्वयं कष्ट उठाकर विरोधी पर विजय प्राप्त की जाय। इस प्रकार महात्मा गांधी की 'नैतिक शक्ति' की अवधारणा इस रूप में सर्वथा नवीन है कि उसके प्रयोग की प्रक्रिया में प्रतिपक्षी को नवरचना के लिए समाप्त नहीं किया जाता बल्कि उसके अन्तर में विद्यमान नवरचना के चेतन तत्व को उभारने की गहरी प्रेरणा होती है अपील होती है। आक्रांता की प्रतिक्रिया में आक्रांत भी आक्रामक नहीं बन जाता वरन आक्रामक के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के साथ उसे सह होता है और उसके अन्दर की 'विध्वसात्मक' या 'निषेधात्मक शक्ति' के उभार को अपनी प्रतिक्रिया का ईंधन देकर उसे और नहीं बढ़ाता।

- **निर्भीकता**

गांधी जी की 'नैतिक शक्ति' में कायरता का कोई स्थान नहीं है। निर्भयता के बिना तो सत्याग्रही की गाड़ी एक कदम भी नहीं चल सकती। 'अहिंसक शक्ति' के उपासक के रूप में निर्भीकता महात्मा गांधी की अनुपम विशेषता थी। शक्ति और निर्भयता का सिद्धांत स्वामी विवेकानन्द ने भी प्रतिपादित किया था, जिसे राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली में प्रतिरोध के सिद्धांत की संज्ञा दी गई। गांधी जी की भांति विवेकानन्द की 'शक्ति' में कायरता का कोई स्थान नहीं है। विवेकानन्द ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं। वे देशवासियों को जिस प्रकार की 'शक्ति' देना चाहते थे, वह केवल 'शारीरिक शक्ति' नहीं थी अपितु वह तो 'चारित्रिक शक्ति' थी जो पवित्रता, निर्भीकता, कर्ममय जीवन एवं त्याग की भावना से उत्पन्न होती है। यद्यपि सन्यास होने के नाते स्वामीजी ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वाधीनता आन्दोलन में भाग नहीं लिया जबकि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेते हुए निर्भीकता का परिचय दिया। इस प्रकार सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्मत्याग और निर्भीकता महात्मा गांधी की राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्त्रोत हैं।

गांधीवादी 'राजनीतिक शक्ति' की तकनीक

'सत्याग्रह' महात्मा गांधी की 'नैतिक शक्ति' का एक अंग है। एक प्रकार से यह लौकिक क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा के संगठन का प्रयत्न है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार 'नैतिक शक्ति' के रूप विभिन्न हैं:

असहयोग

'असहयोग' महात्मा गांधी की 'सत्याग्रही शक्ति' का ही एक अस्त्र है। उन्होंने भारतीयों को यह सिखाया कि यदि विदेशी राज्य को सहयोग देना बन्द कर दिया जाय तो वह राज्य स्वतः ही गिर जायेगा। असहयोग तत्वतः शोधन प्रक्रिया है। यह लक्षणों से कहीं अधिक कारणों का उपचार करता है। गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि असहयोग का तात्पर्य है कि सरकार की दमनात्मक नीतियों के साथ असहयोग करे और सरकार को इतना शक्तिहीन बना दे कि उसे न्याय करने के लिए बाध्य होना पड़े।

सविनय अवज्ञा

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के आचरण को परिवर्तित करने हेतु 'राजनीतिक शक्ति' के अस्त्र के रूप में महात्मा गांधी ने 'सविनय अवज्ञा' नामक पद्धति का भी प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने यह स्पष्ट किया कि 'जब कानून बनाने वाले की गलती सुधारने की चेष्टाएं अर्जी देने के बावजूद भी विफल हो जाती है, तब यदि आप उस गलती के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके लिए दो ही मार्ग बचते हैं, या तो आप भौतिक शक्ति से उसे अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर दें या उस कानून को तोड़ने का दण्ड झेलकर व्यक्तिगत रूप से कष्ट वरण करे। जनता का इस प्रकार का संघर्ष प्रायः अन्यायी कानूनों के रूप में व्यक्त गलतियों का विरोध करने से मूर्त होता है। 'सविनय अवज्ञा' नैतिक दृष्टि से शून्य संवैधानिक कानूनों को तोड़ने का शिष्ट प्रयोग है। इस आन्दोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें सरकार द्वारा बनाये हुए अन्यायपूर्ण नियम 'नैतिक शक्ति' द्वारा तोड़े गये और महात्मा गाँधी ने स्वयं 'नमक कानून' तोड़कर 'नैतिक शक्ति' आधारित आन्दोलन का नेतृत्व किया।

'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन सभी प्रकार के दमनकारी कानूनों को तोड़ने से सम्बन्धित था। दिसम्बर, 1929 में कांग्रेस ने 'पूर्ण–स्वराज' का लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी, 1930 को सम्पूर्ण भारत में 'स्वाधीनता दिवस समारोह' मनाया गया। 'लोक शक्ति' आधारित आन्दोलन समाप्त कर दिया गया लेकिन ब्रिटिश सरकार कांग्रेस एवं राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने में असमर्थ रही। 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि 'अंहिसा की शक्ति' धीरे–धीरे सत्ताधारियों के आचरण को परिवर्तित करने में समर्थ हैं।

भारत छोड़ो आन्दोलन

'क्रिप्स वार्ता' भंग होने के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा 'भारत छोडो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। गांधी जी ने यह मत अभिव्यक्त किया कि 'सारी दुनिया के राष्ट्र मेरा विरोध करें और सारा भारत मुझे समझाये कि मैं गलती पर हूँ, तो भी मैं भारत के खातिर ही नहीं परन्तु सारे संसार के खातिर भी इस दिशा में आगे बढूगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वाधीनता देने तथा सत्ता का हस्तान्तरण करने से इंकार कर दिया तो 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, बम्बई में महात्मा गांधी ने घोषित किया कि 'स्वराज्य' प्राप्तिके लिए भारत के सामने 'भारत छोडो आन्दोलन' द्वारा युद्ध छेडने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। प्रस्ताव पास हो गया, किन्तु गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, किन्तु सरकार ने तुरन्त ही प्रहार कर दिया। 9 अगस्त को गांधी जी सहित कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को गैरकानूनी कार्य करने का अध्यादेश जारी कर दिया। 8 अगस्त, 1942 का 'भारत छोडो प्रस्ताव' भारत के स्वाधीनता–संग्राम के इतिहास में एक सीमा चिन्ह था। उन्होंने 24 दिन का उपवास रखा। उपवास के बाद गांधी जी को जेल में बन्द कर दिया। उन्होंने वायसराय लार्ड बेबेल को जेल से लिखा 'मैं आपसे सहमत हूँ कि जब तक आपके वही विचार हैं जो आपके पत्र में प्रकट किये गये हैं तब तक मेरे जैसे के लिए उपयुक्त स्थान केवल जेल ही है और जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक मुझे आपका कैदी रहने में पूरा संतोष है। अतः गांधी की 'नैतिक शक्ति' ने ब्रिटिश सत्ताधारियों को यह एहसास करा दिया कि भारतीयों को अधिक समय तक परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं रखा जा सकता। 'राजनीतिक शक्ति' के अस्त्र 'सत्याग्रह' का प्रयोग कर महात्मा गांधी ने 15 अगस्त, 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और भारत स्वतन्त्रता की सांस लेने लगा।

राजनीति शक्ति के अस्त्र सत्याग्रह की प्रासंगिकता

- **प्रासंगिक नहीं**

महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' की विद्वानों व आलोचकों ने कड़ी निन्दा की। आज सत्याग्रह 'दुराग्रह' में परिणित हो गया है। निजी स्वार्थ के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है उपवास न केवल विरोधी की भावनाओं उसकी मानवता, वीरता और दया का शोषण है अपितु यह स्वच्छन्द वातावरण को दूषित कर निःस्वार्थ

भावना से सोचने के अवसरों को समाप्त कर देता है जार्ज अरूण्डेल ने लिखा कि 'इससे विरोधी के सामने केवल दो ही रास्ते रह जाते हैं या तो आत्म समर्पण या उपवास करते हुए व्यक्ति की आत्महत्या। निरंकुश शासनों में जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, प्रेस पर प्रतिबन्ध हो और जहां जनतांत्रिक अधिकार अनुपस्थित हों वहां 'सत्याग्रह' की सफलता संदिग्ध है। सत्याग्रह की सफलता विरोधी की नैतिकता और मानवता की भावना पर निर्भर करती है।

- **प्रासंगिक**

महात्मा गांधी की राजनीति शक्ति की पद्धति पर किये प्रहार निराधार प्रतीत होते हैं। वास्तव में 'नैतिक शक्ति' का अस्त्र 'सत्याग्रह' हृदय परिवर्तन का प्रभावकारी साधन है। महात्मा गांधी ने 'सत्याग्रह' द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को घुटने टेक देने के लिए विवश कर दिया। उसके प्रतिद्वंदी जनरल स्मट्स ने गांधी जी की प्रशंसा करते हुएं उन्हें विश्व का एक महान व्यक्ति बतलाया। आपसी संघर्षों व रक्तरंजित युद्धों से पीड़ित विश्व में इच्छित परिवर्तन लाने हेतु महात्मा गांधी ने वर्ग संघर्ष की अपेक्षा श्रेष्ठतर विकल्प प्रस्तुत किया। सभ्यता के विकास क्रम में अन्ततः मानवजाति के सम्मुख करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने में बल प्रयोग न केवल मौलिक रूप से गलत है, वर्न उसमें आत्मविनाश के बीज निहित है। युद्ध और हिंसा समस्या को हल नहीं करते अपितु युद्ध को जन्म देते हैं। आज पूर्ण विनाश में सक्षम अणु आयुधों के आविष्कार ने, आचरण परिवर्तन की 'गांधीवादी नैतिक शक्ति' की पद्धति की प्रासंगिकता में अभिवृद्धि की है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकशक्ति की अवधारणा

प्रत्येक देश की राजनीति का सम्बन्ध उस देश के समाज से होता है। राजनीति का जटिल खेल रिक्त स्थान में नहीं अपितु समाज में खेला जाता है, लेकिन फिर भी 'आधुनिक राज्यों की राजनीति के अनेक ग्रन्थों में सामाजिक ढांचे व राजनीतिक प्रणाली के बीच सम्बन्ध की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।' किन्तु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'समाज' को राजव्यवस्था का प्रमुख घटक माना। उनका दृढ विश्वास था कि समाज की उन्नति किये बिना राष्ट्र का उत्थान असंभव सा है। उनका मत था कि सामाजिक समस्याओं का निदान करके एवं समाज में विद्यमान बुराइयों का अंत करके ही समाज उन्नति के पथ पर अग्रसित हो सकता है, लेकिन यह कार्य 'हिंसक शक्ति' के साधन द्वारा नहीं करके 'अहिंसक शक्ति' द्वारा किया जाना चाहिये। वे जीवनपर्यंत अस्पृश्यता, बाल–विवाह, विधवा विवाह और पर्दा प्रथा आदि सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु जूझते रहे, समाज में विद्यमान कुरीतियों के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों का संक्षिप्त अध्ययन किया गया।

महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता

महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात यह विदित होता है कि अनेक विद्वानों व आलोचकों ने महात्मा गांधी के विचारों को अप्रासंगिक बताया, उनके विचार इस प्रकार हैः

- **अप्रासंगिक**

महात्मा गांधी ने 'वर्णाश्रम' व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसकी आलोचकों ने कटु निन्दा की। अनेक विद्वानों ने महात्मा गांधी को रूढीवादी की संज्ञा दी। विरोधियों का मत है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गांधी जी ने घर ही बतलाया और स्त्रियों द्वारा नोकरी किये जाने का विरोध किया है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के ये विचार अप्रासंगिक है। महिलाओं द्वारा नोकरी करके ही वह पुरूष के बराबर आ सकती है। हमारे समाज में लडके तथा लडकी के मध्य भेद–भाव रखने का प्रमुख कारण यही है कि लडका ही नौकरी या अन्य व्यवसाय द्वारा पैसा कमाकर परिवार का भरण–पोषण कर सकता है। यदि लडकियो द्वारा भी नौकरी की जाएगी तो लडकी को भी लडके के बराबर समझा जाएगा और उसकी स्थिति भी अपने परिवार में लडके के समान महत्वपूर्ण हो जाएगी। और उसके साथ किये जाने वाले भेद स्वतः ही समाप्त हो जाएगें। और उसका सम्मान बढ जायेगा। स्त्रियों द्वारा नौकरियां करने से एक लाभ यह भी होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात लडकियों को किसी सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। यदि कोई उनसे

सिर्फ इसी कारण से विवाह करने से इंकार कर दे कि उनके माता–पिता दहेज नहीं दे सकते तो ऐसी स्थिति में नौकरी ही उसकी आजीविका व जीवन को चलाने में सहायक हो सकती है। मैरे विचार से तो नौकरी करना वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है।

- **प्रासंगिक**

महात्मा गांधी 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करने के पक्ष में थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–17 में अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान है, जो कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता का सूचक है। हिन्दू समाज में विद्यमान अस्पृश्यता रूपी विष का अन्त करने के लिये संसद द्वारा 1955 में 'अस्पृश्यता' अपराध अधिनियम पारित किया गया है, जो सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दण्डनीय अपराध है। वर्तमान समय में हरिजनों द्वारा किये जाने वाले कार्य वैज्ञानिक विधियों से किये जाते हैं। मैला जो पहले हरिजनों द्वारा सिर पर उठाया जाता था, उनके स्थान पर अब दुपहिया हाथ से चलने वाली गाडियां सरकार ने उनको उपलब्ध करवाई। यह सब गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में भी स्त्रियों को पुरूष के समान माना है। नीति निर्देशक तत्वों में भी स्त्रियों की उन्नति की बात कही है। दिसम्बर 1989 में कार्यभार संभालने वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने भी यह घोषणा की है कि संविधान में पुरूषों और महिलाओं का समान दर्जा है। लेकिन महिलाओं को भेद–भाव और अपमान भी झेलना पड रहा है। सरकार महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिये भी कदम उठायेगी। यह गांधी जी की प्रासंगिकता को ही सिद्ध करता है। दहेज प्रथा ने वर्तमान समय में विकराल रूप धारण कर रखा है। कितनी ही वधुएं दहेज रूपी दानव की भेंट चढ़ चुकी है। दहेज प्रथा का अन्त अन्तर्जातीय विवाह से ही सम्भव है।

सन्दर्भ सूची

⇒ डॉ.लक्ष्मीनारायण, स्वराज्य और घनश्यामदास, पृ.18
⇒ बंग, ठाकुरदास, गांव की सत्ता गांव के हाथ, पृ.17
⇒ तेंदुलकर, महात्मा, खण्ड–5, पृ.248
⇒ गांधी, मोहनदास करमचन्द, हिन्द स्वराज्य, पृ.69–78
⇒ गांधी जी, हिन्द स्वराज्य, पृ.77
⇒ गांधी, मोहनदास करमचन्द, हरिजन, 26.7.1942
⇒ प्यारेलाल, महात्मागांधी : दि लास्ट फेज वाल्यूम–2, पृ.2
⇒ आचार्य राममूर्ति, गांधी इन माओ आउट, गांधी मार्ग (मासिक पत्रिका), वर्ष 26, अंक–12, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1981, पृ.3–7
⇒ गांधी जी, हरिजन,11.2.1933
⇒ कृपलानी जीवतराम भगवानदास, महात्मा गांधी, जीवन और चिंतन, पृ.415
⇒ गांधी मोहनदास करमचन्द, वर्ण व्यवस्था, पृ.49
⇒ गांधी मोहनदास करमचन्द, यंग इंडिया, 27.10.1927
⇒ बम्बई भागिनी समाजके वार्षिकों उत्सव में दिये गये भाषण से, 28.फरवरी, 1918
⇒ स्पीचीज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, पृ.26
⇒ गांधी जी, हरिजन, 18 मई, 1938
⇒ बम्बई भगिनी समाज के वार्षिक सम्मेलन में दिये गये भाषण से, 20 फरवरी, 1918
⇒ गांधी, एम.के., सच्ची शिक्षा, पृ.156–61, 1959
⇒ गांधी जी, यंग इंडिया, 15 सितम्बर, 1921
⇒ राजस्थान पत्रिका, 21 दिसम्बर, 1989

♦❐♦